भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2863
उत्तर देने की तारीखः 18.03.2020

हाथ से मैला ढोने वालों की मृत्यु के संबंध में एनसीएसके द्वारा रिपोर्ट

2863. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) द्वारा जारी उस आंकड़े की जानकारी है जिसमें यह बताया गया है कि वर्ष 2017 से औसतन पांच दिन में एक सफाई कर्मचारी की सीवर या सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मृत्यु हो जाती है;
(ख) क्या यह भी सच है कि हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु निर्मित कानून के उचित प्रवर्तन के अभाव में यह स्थिति दिन प्रतिदिन और भयावह होती जा रही है; और
(ग) यदि हां, तो क्या सरकार प्रवर्तन संबंधी खामियों को दूर करके समाज के इस वर्ग को इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए उचित परिवर्तनों सहित कोई ठोस कार्रवाई करेगी?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): भारत के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2003 की सिविल रिट याचिका सं. 583 सफाई कर्मचारी आन्दोलन बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में अपने दिनांक 27.03.2014 के निर्णय में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह निदेश दिया था कि उन सभी व्यक्तियों जिनकी वर्ष 1993 के बाद सीवरेज और सैप्टिक टैंकों की सफाई करने के दौरान मृत्यु हुई है, उनकी पहचान करें और इस प्रकार की मृत्यु के प्रत्येक मामले में मृतक व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को 10 लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान करें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से ऐसे मामलों की मासिक रिपोर्टें भेजने के लिए अनुरोध किया है। वर्ष 2017 से हुए ऐसे मामले जिनकी पहचान राज्यों द्वारा की गई है और जिनकी सूचना उन्होंने भेजी है, का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है और अतः यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि वर्ष 2017 से सीवर या सैप्टिक टैंकों की सफाई करने के दौरान हरेक पांच दिन में औसतन एक सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है।

(ख) और (ग): सरकार ने "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013)" के अंतर्गत मैनुअल स्केवेंजिंग तथा सीवरों और सैप्टिक टैंकों की परिसंकटमय सफाई प्रतिषिध है। किसी व्यक्ति को मैनुअल स्केवेंजिंग अथवा सीवरों और सेप्टिक टैंकों की परिसंकटमय सफाई के लिए नियोजित करना एक संज्ञेय अपराध है और जुर्माने तथा कारावास सहित दण्डनीय है। सरकार ने "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियमावली, 2013" (एमएस नियमावली, 2013) भी अधिसूचित की है, जिसके अंतर्गत सीवरों और सैप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई केवल उन अपवादिक मामलों में करने की अनुमति दी जा सकती है जहां मशीनों से उनकी सफाई करना संभव नहीं है और वह अनुमति केवल नगरपालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी और इसके कारणों का लिखित रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसे मामलों में, जो नियोजक किसी व्यक्ति को सीवर और सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई करने के लिए नियोजित करेगा, वह उसे सुरक्षा गियर और उपकरण प्रदान करेगा तथा नियमावली के अंतर्गत सुरक्षोपायों को सुनिश्चित करेगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया परिचालित की है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) सीवरों तथा सेप्टिक टैंकों की सुरक्षित सफाई के संबंध में इंजीनियरों, सफाई निरीक्षकों, सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारों के लिए नगरपालिकाओं में कार्यशालाएं आयोजित करता है और साथ ही सुरक्षा यंत्र/उपकरण प्रदान करने के लिए नियोक्ताओं की बाध्यता के संबंध में एमएस अधिनियम, 2013 तथा "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियमावली, 2013 (एमएस नियमावली, 2013)" के उपबंधों के बारे में जागरुकता सृजित करता है तथा सुरक्षा संबंधी सावधानियां भी सुनिश्चित करता है। 02 अक्तूबर, 2018 से दिनांक 04.03.2020 तक ऐसी 524 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। आवासन और शहरी मामला मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता विभाग के परामर्श से सीवरों, सैप्टिक टैंकों और सैप्टेज की मशीनी सफाई के लिए कार्य-योजना तैयार की जा रही है। कार्य-योजना में, उत्तरदायी स्वच्छता प्राधिकरण की नियुक्ति और प्रत्येक जिले में सुसज्जित सैनिटेशन रिस्पॉन्स यूनिट की स्थापना की परिकलपना की गई है ताकि सीवर/सैप्टिक टैंकों की गाद निकालने के साथ-साथ सफाई के लिए मशीनी प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके।

अनुबंध

हाथ से मैला ढोने वालों की मृत्यु के संबंध में एनसीएसके द्वारा रिपोर्ट के संबंध में दिनांक 18.03.2020 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2863 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीवरों और सैप्टिक टैंको की सफाई करते हुए मरने वाले व्यक्तियों की संख्या और दायर की गई एफआईआर तथा मृतक के परिवारों को दिए गए मुआवजे के बारे में राज्यों द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को दिया गया ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2017	2018	2019 (31.12.2019 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	2	9	2
2.	बिहार	6	6	0
3.	छत्तीसगढ़	0	1	0
4.	चंडीगढ़	3	0	0
5.	दिल्ली	13	10	8
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	7	2	16
8.	हरियाणा	11	6	14
9.	केरल	1	0	0
10.	कर्नाटक	4	1	7
11.	महाराष्ट्र	4	7	17
12.	पंजाब	4	2	3
13.	राजस्थान	6	2	5
14.	तमिलनाडु	7	9	15
15.	तेलंगाना	0	2	0
16.	उत्तर प्रदेश	18	11	21
17.	पश्चिम बंगाल	7	0	2
	कुल	**93**	**68**	**110**